# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

## पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/31/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

**उनवान**

1. उँकार पिता रूपा जाति जाट आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

– वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर सा0 चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

**–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–**

**निर्णय दिनांक: 17.04.2026**

## –:निर्णय:–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा निम्बाहेडा के हल्के बैरूनी में आ0नं0 1798 रकबा 0.28 हैक्ट0 स्थित है जो रेवेन्यु रेकार्ड में वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है किन्तु यह जमीन पूर्व में मेरे बाप दादाओं के नाम पर दर्ज थी किन्तु वर्तमान में यह जमीन मेरे नाम पर दर्ज होने से रह गई और बिलानाम दर्ज हो गई जिसे दुरूस्त कराया जाकर बिलानाम से हटाकर मेरे नाम पर दर्ज की जानी चाहिए।

यह कि आराजी 1798 के सम्वत् 2012 की पैमाईश से 1419 थे और इससे पूर्व सम्वत 1980 की पैमाईश से 893 थी और 893 नम्बर हमारे बाप दादाओं के समय से ही इस पर हमारा कब्जा चला आ रहा है जो मेरी अन्य आराजीयात के बीच होकर हम ही काश्त करते चले आ रहे है और हमारा कब्जा है। क्योंकि इस जमीन पर वर्तमान में मेरा कब्जा होने से धारा 91 रा0ले0रे0एक्ट0 के अन्तर्गत मेरे खिलाफ नाजायज कब्जे की कार्यवाही चल रही हैं पूर्व में इस जमीन को लेकर मुझे व मेरे भाई को 6 माह की सजा हुई जो भी मेरा पुराना कब्जा होने से कलक्टर सा0 ने माफ कर दी व मामला तहसीलदार सा0 को पुनः कार्यवाही हेतु भेजा गया और नियमों में अगर सम्भव हो तो मेरे नाम पर दर्ज करने का आदेश हुआ किन्तु कलक्टर साहब के आदेश की तहसीलदार सा0 ने पालना नही की मेरे द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड की और कोई ध्यान न देकर पुनः बिलानाम दर्ज रख 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का नोटिस दे दिया जिससे इन्द्राज दुरूस्ती का यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। व पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि बिनाय मुकस्मात दावा दिनांक 01.03.2008 को पैदा हुआ और उसके पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है जबकि प्रतिवादीगण ने इस जमीन से बेदखल करने व स्कुल बनाने की धमकी दी जिससे बिनाय मुकस्मात पैदा हुई।

अन्त में निवेदन किया कि वादप. की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 1798 को बिलानाम से काट कर मुझ वादी के नाम पर दर्ज की जावें रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शा0फा0 है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार

1. आया सम्वत् 2012 की पैमायश से पूर्व सन् 1980 के पैमायश की साबिक आ0नं0 893 मुद्दा वादी के पूर्वजों के नाम होकर बापदादाओं के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है?

–जिम्मेवादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

2. आया वर्तमान आ0नं0 1798 रकबा 0.28 हैक्ट0 रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित है जो मुझ वादी के कब्जे काश्त होकर धारा 91 के तहत नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा रही है जो वादी के नाम खाते दर्ज कराने का वादी अधिकारी है ?

—जिम्मेवादी

3. आया आ0नं0 1798 साबिक आ0सं0 1417 मी0 से बना हो ऐसा कोई दस्तावेज वादी ने पेश नही किया है वर्तमान वादग्रस्त आराजी बिलानाम सरकार दर्ज अंकित होकर प्रतिवादी खातेदार है? वादी खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है?

—जिम्मेप्रतिवादी

4. आया आ0नं0 1798 बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड होने से प्रतिवादी को धारा 91 के तहत नाजायज कब्जे की कार्यवाही करने का अधिकार है?

—जिम्मेप्रतिवादी

5. दादरसी

साक्ष्यवादी में वादी उंकारलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत। साक्ष्यवादी जिरह नही किये जाने से पूर्व में दिनांक 14.06.2011 को बन्द की गई। दिनांक 17.07.2012 को साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :—

आया सम्वत् 2012 की पैमायश से पूर्व सन् 1980 के पैमायश की, साबिक आ0नं0 893 मुझ वादी के पूर्वजों के नाम होकर बापदादाओं के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादी का था। वादी द्वारा साक्ष्यवादी में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु दस्तावेज प्रदर्श अंकन नही कराने से साक्ष्यवादी जिरह बन्द की गई। प्रस्तुत जवाब अनुसार साबिक आराजी संख्या 893 वादी के पूर्वजों के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी, परन्तु तब से कब्जा है, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है, साथ ही आराजी संख्या 893 से हाल आराजी संख्या 1798 बने है, वादी सिद्ध कराने में असफल रहा। अतः उक्त तनकी को वादी सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02</u> :—

आया वर्तमान आ0नं0 1798 रकबा 0.28 हैक्ट0 रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित है जो मुझ वादी के कब्जे काश्त होकर धारा 91 के तहत नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा रही है जो वादी के नाम खाते दर्ज कराने का वादी अधिकारी है ? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादी का था। प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से वादी द्वारा कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है, कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है, क्योकि धारा 91 एल0आर0एक्ट में वादी को अतिक्रमी माना है व उक्त धारा में नियमानुसार अतिक्रमी को बेदखल किया जाता है। साथ ही कब्जे के आधार पर नियमन के पृथक से नियम बने है व वादी द्वारा हाल आराजी संख्या 1798 के साबिक नम्बर 1419 से बनना बताया है जबकि इस प्रकार का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, अतः अतः उक्त तनकी को वादी सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03</u> :—

आया आ0नं0 1798 साबिक आ0सं0 1417 मी0 से बना हो ऐसा कोई दस्तावेज वादी ने पेश नही किया है वर्तमान वादग्रस्त आराजी बिलानाम सरकार दर्ज अंकित होकर प्रतिवादी खातेदार है? वादी खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा प्रतिवादी का था। तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

**तनकी संख्या 04 :–**

आया आ0नं0 1798 बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड होने से प्रतिवादी को धारा 91 के तहत नाजायज कब्जे की कार्यवाही करने का अधिकार है? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा प्रतिवादी का था। तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से वादवर्णित आराजीयात का खातेदार भूमिधारी है, अतः भूमिधारी राजकीय भूमि से धारा 91 एल0आर0एक्ट0 के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

वादी द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 सिद्ध कराये जाने में असफल रहने से वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर )
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन